उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या-06/2021/210/94-स्टा0नि0-2-2021-700(04)/2021

लखनऊ, दिनांक: 15 जून,2021

अधिसूचना

आदेश

"साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पूर्वोक्त धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन किसी विलेख पर प्रभार्य समुचित स्टाम्प शुल्क के न्यायनिर्णयन हेतु कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर एक सौ रूपये शुल्क निर्धारित करती हैं।"

आज्ञा से,

वीना कुमारी
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-06/2021/210/94-स्टा0नि0-2-2021-700(04)/2021 दिनांकः 15 जून, 2021

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 15 जून, 2021 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की सौ प्रतियाँ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव।

संख्या-06/2021/210/94-स्टा0नि0-2-2021-700(04)/2021 दिनांकः 15 जून, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. **महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश प्रयागराज।**
2. **मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।**
3. **प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।**
4. **अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।**
5. **अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।**
6. **आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।**
7. **समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।**
8. **सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, लखनऊ।**
9. **समस्त जिलाधिकारी/समस्त अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), उत्तर प्रदेश।**
10. **समस्त उपायुक्त स्टाम्प/उप महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।**
11. **समस्त सहायक आयुक्त स्टाम्प/सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।**
12. **विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।**
13. **भाषा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन।**
14. **वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9।**
15. **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,
अशोक कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 06/2021/210/94-S.R-2-2021-700(04)/2021 dated, 15 June, 2021.

Notification
Order

No. 06/2021/210/94-S.R-2-2021-700(04)/2021
Lucknow, Dated, 15 June, 2021

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 31 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) the Governor, with effect from the date of the publication of this notification in the Gazette, is pleased to fix the fee of one hundred rupees, for adjudication of proper stamp duty chargeable on an instrument, on application presented before the collector under the aforesaid sub-section (1) of section 31.

By order

Veena Kumari
Pramukh Sachiv

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।